



जोधपुर

आर.ई.ओ.- 204

विद्युत वितरण

निगम लि०

क्रमांक : जोडि/प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा०/प्रे० 56

जोधपुर, दिनांक 2/4/13

आदेश

विषय :- निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।

\*\*\*\*

समन्वय समिति की दिनांक 15.3.2013 को आयोजित 164 वीं बैठक में लिये गये निर्णय (बिन्दू संख्या 164.12) की अनुपालना में जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र दिनांक 01.04.2011 एवं इसके बाद जारी किये गये एवं किसी कारणवश मांग पत्र राशि जमा नहीं करवा सके तथा पत्रावलियों निरस्त हो गयीं उन आवेदकों को मांग पत्र जमा कराने हेतु एक अवसर और दिये जाने की सहमति निम्न प्रावधानों के साथ दी जाती है :-

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलि मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गयी है, उन्हें निगम द्वारा पुनर्जीवित करने के लिये रुपये 500/- जमा करवाने हुये दिनांक 01.04.2013 से 15.04.2013 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा।
2. मांग पत्र की राशि दिनांक 16.04.2013 से 15.05.2013 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावलि अन्य किसी सूचना के रद्द मानी जावेगी।
3. इन पुनर्जीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जावेगी।

*Yus* 2/4/13  
(पी.एम.खत्री)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स/बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, (ए एण्ड आर/...../.....) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रा.वे. सहा.अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एण्ड सी/टी.डब्ल्यू/वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जैसलमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संघा.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालौर/बाड़मेर/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
10. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
12. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, सलाहकार (एम) राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संघा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
15. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
16. प्रा.वे.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता (...../पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।  
(आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न है।)  
उक्त आदेशों का कृषि उपभोक्ताओं के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये।
18. जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

*Yus* 2/4/13  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर